दशम माला, खण्ड 28 अंक 1

सोमवार 21 फरवरी, 1994
फाल्गुन 2, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 25.7.95

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय - सूची

दशम माला, खण्ड 28, नवां सत्र, 1994 / 1915 (शाक)

अंक 1, सोमवार, 21 फरवरी, 1994 /2 फाल्गुन 1915 (शाक)

विषय		पृष्ठ
राष्ट्रगान	राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	सभा पटल रखा गया।	1
मंत्रियों का परिचय		13
निधन संबंधी उल्लेख		13
बजट सत्र के ठीक पहले आम उपयोगी कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ाये जाने के संबंध में		16
सभा पटल पर रखे गए पत्र		24
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र		26

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, श्री मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाँशा, श्री बी० (वेल्लौर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराजू, श्री एल० (तिरूचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए०आर० (कोलाबा)

अन्बारासु, श्री आर (मद्रास मध्य)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेन्कासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)

अंस, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा० फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर० धनुष्कोडी (तिरूचेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्चालाम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरूल (धंबरी)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के०पी० (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरूणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ओ

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोजिया डा० जी०एल० (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करंद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कस्वा, श्री राम सिंह (चुरू)

कहांडोले, श्री जेड०एम० (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरूमल, श्री पी०पी० (कुड्डाल्पैर)

काले, श्री शंकर राव दे० (कोपरगांव)

काष्वा, श्री राम सिंह (चुरु)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुड्डुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लोर)

कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम्, श्री रंगराजन (सलेम)

कुमारस्वामी, श्री पी० (पलानी)

कुरियन, प्रो० पी०जे० (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण (दमोह)

कृष्ण कुमार,

कृष्ण स्वामी, श्री एम०(वन्डिवाशी)

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

केनिथी, डा० विश्वनाथम (श्रीकाकुलम)

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)

कोली, श्री गंगा राम (ब्याना)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खण्डेवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)

खनोरिया, मेजर डी०डी०(कांगड़ा)

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खां, श्री असलम शेर (बेतुल)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खां, श्री सुखेन्दु (बिशनुपुर)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

ग

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गगोई, श्री तरुण (कालियाबोर)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गालिब, श्री गुरचरण सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गिरियप्पा, श्री सी०पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)

गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)

गुडाडिन्नी, श्री बी०के० (बीजापुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरायिंकिल)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)

गौड, प्रो०के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव (वर्धा)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुदूर)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)

चाक्को, श्री पी०सी० (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)

चिदंम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा० (तिरूपति)

चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, श्री ए०बी०ए० गनी खां (माल्दा)

चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौधरी, डा०के०वी०आर० (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौरे, श्री बापू हरि (धूलै)

चौहान, श्री चेतन पी०एस० (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)

छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम०आर० कादम्बूर (तिरूनेलवेली)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयमोहन, श्री ए० (तिरूपत्तूर)

जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी०के० (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा०बी०जी० (गुलबर्गा)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनिम)

जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

जोशी, श्री अन्ना (पुणे)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी०जे० (दमन और दीव)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति (टिंडिवनाम)

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच० (बड़ौदा)

टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दाहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)

त

तंगकाबालु, श्री के०वी० (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुर द्वारस)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा० रमेशचन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (कंसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो०के०वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी०सी० (मुक्तुपुजा)

थुंगन, श्री पी०के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई-उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवगौड़ा, श्री एच०डी० (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती बिभू कुमारी (त्रिपुरा-पूर्व)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा बिठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए० वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)

नायक, श्री डी०के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री पी०जी० (गोबिचेट्टिपालयम)

निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पंडियन, श्री डी० (मद्रास-उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल (केराना)

पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)

पटेल, श्री बृशिण (सीवान)

पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)

पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)

डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)

पवार, डा० बसंत (नासिक)

पांजा, श्री अजित (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)

पाटील, श्री विजय एन० (इरूदोल)

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)

पायलट, श्री राजेश (दोसा)

पाल, डा० देवी प्रसाद
(कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पालावोला, श्री वी०आर० नायडू (खम्माम)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री बलराम (नैनीताल)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)

पेरुमान, डा०पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश, श्री शशि (चेल)

प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराज नगर)

प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)

प्रेम, श्री बी०एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)

प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपूर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारूक, श्री एम०ओ०एच० (पांडिचेरी)

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अंकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)

बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, पलास (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा० असीम (नवद्वीप)

बालयोगी, श्री जी०एम०सी० (अमालपुरम)

बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बूटासिंह, श्री (जालौर)

बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव, (रामटेक)

भोंसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मरन्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)

मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)

मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)

माडेगौडा, श्री जी० (माण्डया)

माणे, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांजी)

माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिर्धा, श्री रामनिवास (बाडमेर)

मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)

मुजाहिद, श्री बी०एम० (धारवाड़-दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मुरूगेसन, डा०एन० (करूर)

मुरूमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस० (विशाखापटनम)

मंघे, श्री दत्ता (नागपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैथ्यू, श्री पाला के०एम० (इदुक्की)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)

मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)

मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)

यादव, श्री राम शरण सिंह (खगरिया)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, डा० एस०पी० सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

युमनाम, श्री याइमा सिंह (आतंरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला)

रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)

राजनारायण, श्री (बासगांव)

राजरविवर्मा, श्री बी० (पोल्लाची)

राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)

राजुलू, डा० आर०के०जी० (शिवकासी)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रकुमार, श्री एस०एस०आर० (चिंगलपट्टू)

राजेश कुमार, श्री (गया)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राठवा, श्री एन०जे० (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशी राम (सूरत)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द्र (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामदेव, राम, श्री (पलामू)

राम बदन, श्री (लालगंज)

राम बाबू, श्री ए०जी०एस० (मदुरै)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडु (पेरियाकुलम)

रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)

राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)

राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री पी०वी० नरसिंह (नन्दयाल)

राव राम सिंह, कर्नल (महेन्द्रगढ़)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्बल्लापुर)

रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)

रावल, डा० लाल बहादुर (हाथरस)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)

राही, श्री राम लाल (मिश्रिखा)

रेड्डय्या यादव, श्री के०पी० (मछलीपटनम)

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री जी० गंगा (निज़ामाबाद)

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एम०जी० (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बी०एन० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)

रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)

लालजान बाशा, श्री एस०एम० (गुन्टूर)

लोढा, श्री गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)

वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)

वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)

वर्मा, कु० विमला (सिवनी)

वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)

वान्डायार, श्री के०टी० (थंजावुर)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी०एस० (पालघाट)

विलियम्स, मेजर जनरल आर०जी०
(नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)

व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)

शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिंहरी-गढ़वाल)

शिंगडा, श्री डी०बी० (दहानू)

शिवप्पा श्री के०जी० (शिमोगा)

शिवरामन् श्री एस० (ओट्टापलम)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्रीधरण, डा० राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री सी० (डिन्डिगुल)

स

संगमा श्री पूर्णो ए० (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सईद, श्री पी०एम० (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सम्नुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपूरम)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)

साक्षी, जी० डा० (मथुरा)

सादुल, श्री धर्मण्णा मोडय्या (शोलापुर)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)

सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाँव)

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमगलूर)

सिल्वेरा, डा० सी० (मिज़ोरम)

सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अर्जुन (सतना)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, डा० छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)

सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

सिंह देव, श्री के०पी० (देकानाल)

सुखराम, श्री (मंडी)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरूदासपुर)

सुन्दरराज, श्री एन० (पुडुक्कोट्टाई)

सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)

सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नान)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सैकिया, श्री मुहीराम (नौगाँग)

सैयद, श्री शाहाबुद्दीन (किशनगंज)

सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के०एस० (तिरूचेंगोड)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)

स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)

स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जौरहाट)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोकसभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटील

उपाध्यक्ष

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य

श्री तारा सिंह

श्री नीतीश कुमार

श्री राम नाईक

श्री पीटर जी० मरबानिआंग

महासचिव

श्री सी०के० जैन

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, विज्ञान और तकनालाजी, सागर विकास, इलैक्ट्रानिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, ग्रामीण विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय तथा अन्य जो विषय किसी अन्य केबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को आंबटित नहीं किए गए हैं ।	:	श्री पी०वी० नरसिंह राव
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	:	श्री ए०के० एन्टनी
मानव संसाधन विकास मंत्री		श्री अर्जुन सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	:	श्री बी० शंकरानन्द
कृषि मंत्री	:	श्री बलराम जाखड़
रेल मंत्री	:	श्री सी०के० जाफर शरीफ
विदेश मंत्री	:	श्री दिनेश सिंह
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	:	श्री गुलाम नबी आजाद
वित्त मंत्री	:	श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	:	श्री एन०के०पी० साल्वे
वाणिज्य मंत्री	:	श्री प्रणव मुखर्जी
गृह मंत्री	:	श्री एस०बी० चव्हाण
शहरी विकास मंत्री	:	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	:	श्री सीताराम केसरी
जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री	:	श्री विद्याचरण शुक्ल
रसायन तथा उर्वरक मंत्री	:	श्री राम लखन सिंह यादव

राज्य मंत्री
(स्वतन्त्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित कुमार पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के०पी० सिंह देव
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी०ए० संगमा
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश कुमार शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुखराम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० अबरार अहमद
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और तकनालाजी मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच०आर० भारद्वाज
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के०सी० लेंका

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के०वी० तंग्काबालू
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम० अरूणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी०के० थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी०एम० सईद
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी०वी० रंगय्या नायडू
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर०एल० भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राम सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंश कौर
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई एच. पटेल
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. सी. सिल्वेरा

उप मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

खण्ड अट्ठाईस दसवीं लोक सभा के नौवें सत्र का संख्या 1

पहला दिवस

लोक सभा

सोमवार, 21 फरवरी, 1994/फाल्गुन, 2, 1915 (शक)

[अनुवाद]

1.04 म.प.

लोक सभा 1.04 म.प. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए)

राष्ट्रीय-गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदय : इस अधिवेशन में हम, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

1.08 म.प.

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : मैं, 21 फरवरी, 1994 को एक साथ समवेत हुए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं।

2. नये वर्ष में आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि आज देश का परिप्रेक्ष्य विगत वर्ष की तुलना में बदला हुआ है। वर्ष 1993 के शुरू में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आयीं, लेकिन जैसे-जैसे यह वर्ष बीतता गया, हमारे नागरिकों ने अत्यधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया अपनायी, और 1993 का वर्ष समाप्त होते-होते निश्चित ही आशा की किरण सामने दिखाई देने लगी। सभी मोर्चों पर निरन्तर प्रगति हुई, जिसका आभास कानून तथा व्यवस्था की सुधरती हुई स्थिति, खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, खरीद के अभूतपूर्व स्तर, खाद्यान्नों के बहुत बड़े भंडार, मुद्रास्फीति को एकल अंकीय स्तर पर बनाये रखने, विदेशी मुद्रा के संतोषजनक भंडार, व्यापारिक घाटे में पर्याप्त कमी, निर्यात में वृद्धि, मूलभूत संरचना के कुछ आवश्यक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार और प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो, दोनों में अधिक विदेशी पूंजी निवेश से मिलता है। ये सभी हमारे उभरते

राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण हिन्दी में दिया।

हुए आशावाद के प्रतीक हैं, और इसके औचित्य को सिद्ध करते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊर्जा को और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त कर लिया है। हमारे पास इस सर्वतोमुखी उपलब्धि पर संतुष्टि महसूस करने का कारण है, और इसका प्रमाण है। लेकिन हमने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना हैं इसी आशा के आधार पर सरकार 1994 में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है।

3. कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति नियंत्रण में रही। पिछले वर्ष पंजाब में जो सफलता प्राप्त हुई, उसे और सुदृढ़ किया गया है। देश के पांच राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सरकार इस सुधार की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है, ओर शेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है।

4. पिछले वर्ष लगभग इसी समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर अयोध्या मसले की छाया रही। विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के संभावित असर को लेकर लोगों में गहरी चिंता व्याप्त थी। देश वासियों में व्याप्त बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को ही यह श्रेय प्राप्त है कि तरह-तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं, वे सब गलत साबित हुई। वातावरण में पर्याप्त सुधार आया है, और हम इस विवाद के स्थायी समाधान की आशा कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है, और इस न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जा रही है। उच्चतम न्यायालय की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार समुचित उपाय करेगी।

5. अयोध्या का मसला आज साम्प्रदायिकता को राजनीति से जोड़ने में निहित खतरे का ज्वलंत उदाहरण है। इस विकार को दूर करना और धर्म तथा राजनीति, दोनो को अपने-अपने न्यायसंगत क्षेत्रों में बनाए रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म निरपेक्ष देश की आज यही मांग है। आवश्यकता इस बात की है कि इस मसले पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया जाए, और इसके लिए कारगर उपाय किए जाएं। सरकार इस बारे में दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगी।

6. जम्मू और कश्मीर में हम आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की नीति पर चल रहे हैं। इस वर्ष पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओं को अपनी आतंक-विरोधी कार्रवाईयों में पर्याप्त सफलता मिली है। उनकी कार्य-दक्षता को और बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बल प्रयोग करने में अधिक से अधिक संयम बरता जाए। हजरतबल दरगाह में जो भारी संकट उत्पन्न हो गया था, उसे प्रशासन और सुरक्षा सेनाओं ने जनता के सहयोग से सराहनीय ढंग से हल किया। इस संकट के समाधान ने सरकार के संयम के दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित किया है। जब भी कोई ऐसी घटना हुई है, जिसमें लगा हो कि बल का अधिक प्रयोग किया गया है, तो तुरन्त जांच बैठायी गई है, और इस पर कार्रवाई की गई है। कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, साथ ही प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया गया है; और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। हम आम जनता की परेशानियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी प्रभावी भागीदारी का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, भारत का अविभाज्य अंग है, और हम इसमें सीमा पार से या अन्य किसी और से अस्थिरता पैदा करने के किसी भी प्रयास को निष्फल कर देंगे।

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडो समझौते के अनुरूप अंतरिम बोडोलैंड स्वायत्त परिषद् की स्थापना जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। जब कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों में गैर-जनजातीय लोगों के खिलाफ हिंसा भड़की, तो असम सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंसा भड़कने और मणिपुर में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बिगड़ने पर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई की। इससे यह परिलक्षित होता है कि सरकार विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटेगी।

8. भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग के सदस्यों में एक भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के और एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं। आयोग की स्थापना इस बात की द्योतक है कि हम मानवाधिकार के मसले पर शीघ्र और स्पष्ट कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आयोग ने पूर संकल्प से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

9. संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 1993 में विभागों से संबद्ध संसद की 17 स्थायी समितियां गठित की गई, ताकि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, अनुदान मांगों, मंत्रालय.की वार्षिक रिपोर्टों और राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालीन नीति प्रलेखों की विस्तृत जांच की जा सके। इससे संसद के कामकाज में भारी सुविधा होगी।

10. देश को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में भूंकप से हुई अभूतपूर्व क्षति इनमें सबसे बड़ी है। इन सभी आपदाओं में सरकार ने सराहनीय सतर्कता का परिचय दिया है, और तेजी से राहत प्रदान की है। कई अन्य देशों की सरकारों, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने भी तत्परता से सहायता की है। हम उन सभी के आभारी हैं। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक हजार करोड़ रुपए के परिव्यय का एक बृहद पुनर्निमाण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पुनर्निमाण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को भी समुचित रूप से संबद्ध किया जा रहा है।

11. 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने पिछले वर्ष गति पकड़ी और उन्हें निरन्तर आगे बढ़ाया गया है। इसके बावजूद अभी और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार यह जानती है कि सुधार कभी भी पीछे न मुड़ने वाली और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रति देश की प्रतिक्रियाओं तथा परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखकर दृढ़ता और दूरदर्शिता से इसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में निरन्तर और ठोस प्रगति हुई है, जो आम सहमति पर आधारित है। हम सावधानी से इस गति को और आगे बढ़ाएंगे।

12. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन तथा उनकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कमी की गयी है, तथा कुछ और उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। 31 मार्च 1993 को घोषित नई आयात-निर्यात नीति में कृषि और सेवाओं के क्षेत्र, जिनमें देश तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं, निर्यात की प्रक्रियाओं को कारगर और उदार बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1993-94 के बजट में अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की सुविधा प्रदान की गई।

13. सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं को अनिवार्यतः नया स्वरूप देना, और उन्हें मजबूत बनाना होगा, ताकि वे निजी क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण आए नये उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। मार्च 1993 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन विनिमय दर का एकीकरण और रुपये को खुले बाजार में प्रवाह की छूट प्रदान करना था। यह तथ्य कि रुपये को खुले बाजार में लाने के बाद उसका मूल्य स्थिर रहा है, इस विषय में सरकार के उचित निर्णय का प्रमाण है।

14. मूल आर्थिक सूचकों से यह पता चलता है कि हालांकि यह वर्ष कठिन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु वर्ष 1993-94 के दौरान अर्थव्यवस्था का कार्य निष्पादन संतोषप्रद रहा है। वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानतः 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार को यह आशा है कि वर्ष 1993-94 में भी विकास की दर लगभग इसी स्तर पर बनी रहेगी। इस वर्ष कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति की दर गिर कर 6 प्रतिशत से भी कम हो गई, जबकि इसकी उच्चतम दर 8.4 प्रतिशत रही।

15. अन्तरराष्ट्रीय निवेशकों का भारतीय बाजार में विश्वास बढ़ा है। नई औद्योगिक नीति के प्रारंभ से 1993 के अंत तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश इक्विटी के रूप में अब लगभग 13,000 करोड़ रुपए हैं। इन परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होने का अनुमान हैं इस पूंजी निवेश की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अधिकांश भाग बिजली, तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण, धातुकर्मीय उद्योग, विद्युत उपस्कर, रसायन और इलेक्ट्रानिक तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पूंजी निवेश का लगभग 7 प्रतिशत ही ऐसे उत्पादों के लिए होगा, जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। निवेश की इस राशि को 3-4 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाएगा, जो कि वृहत् परियोजनाओं के प्रारंभ होने से उत्पाद शुरू होने तक की अवधि है।

16. सरकार निर्यात को बढ़ावा देने पर बराबर भारी जोर दे रही है। व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनों एवं विनिमय दर को मुक्त किए जाने तथा अर्थव्यवस्था का सामान्य उदारीकरण किए जाने के सुपरिणाम निकले हैं, और निर्यात में खासी वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की अवधि में यह वृद्धि डालर के रूप में 20 प्रतिशत के करीब थी, जबकि 1992 की इसी अवधि में यह वृद्धि 3 प्रतिशत से कुछ अधिक थी।

17. सरकार कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पर्याप्त और तर्कसंगत मूल्यों वाले निवेशों का समय पर प्रावधान करना, तथा एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, जिससे समय पर मूल्य की घोषणा हो सके, और जिससे अधिक उत्पादन हो, तथा देश की घरेलू जरूरतों के साथ-साथ निर्यात की जरूरतों को पूरा किया जा सके, सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं। समग्र कार्यनीति के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए योजना परिव्यय में 26.6 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। 1992-93 में जहां यह 1,050 करोड़ रुपए था, वहां 1993-94 में बढ़ाकर इसे 1,330 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1992-93 में खाद्यान्न का उत्पादन अठारह करोड़ मीट्रिक टन रहा, जो 1991-92 में हुए उत्पादन से 7.1 प्रतिशत से भी अधिक था। 1993-94 में खरीफ फसल में खाद्यान्न का उत्पादन 9 करोड़ 90 लाख टन मीट्रिक टन होने की आशा है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी होने की संभावनाएं हैं।

18. सरकार उद्यान-कृषि, जल-जीव संवर्धन, तिलहनों, दालों तथा निर्यात की संभावना वाली अन्य वस्तुओं को महत्व देकर कृषि क्षेत्र के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। किन्तु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे अपने उपभोक्ताओं के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। ग्रामीण सहकारिता ऋण प्रणाली तथा विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए विपणन, संसाधन एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं को पुनः सक्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र की नयी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार सेवाओं को व्यापक आधार दिया जाएगा, और इसमें स्वैच्छिक संगइनों का भी और अधिक सहयोग लिया जाएगा।

19. निर्धनता स्तर को घटाने के उपाय के रूप में हमारी कृषि नीति का लक्ष्य भू और जल संरक्षण की समन्वित नीति तथा कार्बनिक और जैव-उर्वरकों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कृषि निवेशों का प्रयोग बढ़ाकर वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। आठवीं योजना में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय जल-विभाजक विकास परियोजना के लिए 1,100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को अनाज, चारा, ईंधन और रेशे के सतत उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन प्रणाली में विविधता आएगी तथा अन्ततः जल-विभाजक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय के स्तर और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस परियोजना से भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे परियोजना क्षेत्र में सूखे से बचा जा सकेगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विकसित किए जाने के लिए 2,500 छोटे जल-विभाजक क्षेत्रों की पहचान की गई है, और इन पर काम शुरू कर दिया गया है।

20. नाइट्रोजन उर्वरकों की विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ाया गया है, और इससे भी अधिक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। चूंकि देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता सीमित है अतः विदेशों में विशेषकर, खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भू पोषकों का संतुलित प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी, जिससे उत्पादन का स्तर बनाए रखा जा सके।

21. कृषि नीति के अंग के रूप में, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे खाद्यान्नों को राज्यों में लाने-ले जाने के संबंध में सभी प्रतिबन्धों को हटा दें।

22. उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने में सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही प्रबल रही है। गरीबों की खर्च-सामर्थ्य को बढ़ाने की दृष्टि से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों की तुलना में 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक कम रखा गया है। वर्ष 1992 में योजना के शुरू होने के समय वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र के अन्तर्गत 10 हजार, 580 नई उचित दर की दुकानें खोली जानी सम्भावित थीं। इसमें से इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य की सीमा को पार करते हुए 11,681 नई उचित दर दुकानें खोली जा चुकी हैं। इस योजना के लागू होने के समय से 1,81,296 टन भण्डारण क्षमता वाला स्थान उपलब्ध कराया गया है, या किराये पर लिया गया है। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि योजना के

लागू होने से पूर्व की तुलना में, करीब 15 लाख मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नया ग्रामीण आयाम जुड़ा है। खरीद प्रयासों में तेजी लाए जाने से 1 जनवरी, 1994 को केन्द्रीय पुल में स्टाक 2 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकार्ड स्टाक है। आवश्यक हुआ तो सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक प्रोत्साहन आसानी से देने की स्थिति में हैं।

23. सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे महिलाएं हों या बच्चे, अल्पसंख्यक हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग, विकास की मुख्य धारा से अलग नहीं रहना चाहिए। 1993-94 में गरीबों के विकास के हर क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संसाधन जुटाये गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए संशोधित परिव्यय 56% बढ़ गया, जबकि कल्याण मंत्रालय का योजना परिव्यय 820 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 980 करोड़ रुपये कर दिया गया। सर्वाधिक पिछड़े 120 जिलों में जवाहर रोजगार योजना को सुदृढ़ बना दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी को प्रति परिवार 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया। 1992-93 में शुरू किए गए ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत औजार किट कार्यक्रम को 1993-94 में 100 और जिलों में शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार देश के कुल 162 जिलों में 2 लाख, 30 हजार ग्रामीण कारीगरों को लाभ पहुंचाया गया हैं बुनकरों के कल्याण एवं विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए गए। इसके अंतर्गत आवास कार्यस्थल, हथकरघा विकास केन्द्र, क्वालिटी डाइंग इकाई, दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशील पूंजी शामिल है। वर्ष के दौरान 1,372 करोड़ रुपए लगाए गए। हथकरघा विकास केन्द्र एवं क्वालिटी डाइंग इकाइयों के लिए सन् 1993 के अन्त में कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि वर्तमान इकाइयों का विलय और विस्तार करके नई इकाइयां स्थापित की जा सकें। सन् 1993 के लिए 120 केन्द्र तथा 20 इकाइयों के लक्ष्य के स्थान पर 213 केन्द्र एवं 94 इकाइयों को स्वीकृति दी गई। 25 केन्द्र एवं 25 इकाइयों ने काम करना आरम्भ भी कर दिया है।

24. सरकार ने निर्धनों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी युवाओं को लाभ पहुचाने की दृष्टि से तीन नई योजनाएं बनाई हैं।

25. देश के 1,752 सर्वाधिक पिछड़े एवं दूरवर्ती इलाकों में, जहां देश के 17 करोड़ गरीब लोग रहते हैं, ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार आश्वासन योजना लागू की गई हैं, ताकि उन्हें कृषि के खाली समय में 100 दिन के लिए सुनिश्चित मजदूरी रोजगार मुहैय्या कराया जा सके। इस प्रकार यह योजना और ऊंचे स्तर तक ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी।

26. "महिला समृद्धि योजना" ग्रामीण महिलाओं को अपनी कमाई और घरेलू संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने और बरतने में समर्थ बनाएगी। 4 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही इस योजना के तहत ग्रामीण डाकघरों में अपने खाते खोल चुकी हैं। इस योजना और राष्ट्रीय महिला कोष से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी।

27. शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्यमों में सतत् रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एक रोजगार योजना शुरू की गई है। अब तक विभिन्न राज्यों में युवाओं से लगभग एक लाख 95 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 41,275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है और उन्हें सिफारिश करके बैंकों को भेज दिया गया है।

उनमें से लगभग 2,000 आवेदन पत्र मंजूर भी कर लिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान इस योजना में 40,000 लाभभोगियों को शामिल किया जाएगा, और वर्ष 1994-95 से प्रति वर्ष 2 लाख 20 हजार लाभभोगियों को इसमें शामिल करने का विचार है इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कुल 7 लाख लाभभोगियों को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

28. इन सभी कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने, और इनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

29. कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने और उनके सम्बन्ध में अपेक्षित निदेश और बल देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। यह विशेष कक्ष कार्यान्वयन विभागों और क्षेत्रीय भ्रमण तथा स्वतंत्र मूल्यांकनों पर आधारित सूचना से फीड-बैंक प्राप्त करेगा, ताकि कार्यक्रमों की सभी संभावित रूकावटों को दूर किया जा सके। सम्बन्धित क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के समन्वित कार्यान्वन का पर्यवेक्षण करने के लिए सचिवों की एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है, जो इन तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

30. संचार सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में और विस्तार किया जाएगा। वर्ष 1993-94 में, 46,800 पंचायतों को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। 1994-95 के दौरान 72,000 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

31. अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं में विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटन में सन् 1993 में वृद्धि की गई और इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया, ताकि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है, उन क्षेत्रों में आधारिक संरचना के विकास की योजनाओं को इसमें शामिल किया जा सके।

32. राष्ट्रीय सफाई·कर्मचारी आयोग अधिनियम का पारित होना इस वर्ष की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के त्वरित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा रहा है।

33. सरकार देश के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की रक्षा, तथा उनके लिए बने सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। 1992-93 के दौरान लगभग 21 लाख अनुसूचित ज़ाति के परिवारों और 8 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर आने में सहायता दी गई। 1993-94 के दौरान सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इन परिवारों की संख्या बढ़कर क्रमशः 27 लाख और 9 लाख हो जाने की संभावना है।

34. जिन क्षेत्रों में जनजातीय महिला साक्षरता बहुत कम है, उनमें इस वर्ष शिक्षा परिसर बनाने की योजना

शुरू की गई। अब तक ऐसे 13 परिसरों को मंजूरी दी गई है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का कारोबार; जो 1991-92 में 22 करोड़ रुपये था, 1992-93 में बढ़कर 86 करोड़ रुपये हो गया है। चालू वर्ष में इसके काफी अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

35. राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त और विकास निगम ने चालू वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की। 1993 के दौरान इसने 80 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए, और आगामी वर्ष में इसका प्रस्ताव अपने काम को दुगना कर देने का है।

36. भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का चिर प्रतीक्षित आरक्षण 8 सितम्बर, 1993 को तब साकार हुआ, जब मौजूदा सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किए। इसके साथ देश के अन्य पिछड़े वर्गों की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकांक्षा पूरी हुई।

37. बाबा साहेब आम्बेडकर की रचनाओं के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य को आगे बढ़ाया गया; और हिन्दी, तमिल, गुजराती, प्रत्येक में दो-दो खंड प्रकाशित किए गए। अन्य भाषाओं में भी कार्य की बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। बाबा साहेब के दर्शन में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में आठ पीठों की मंजूरी दी गई है।

38. मौजूदा वक्फ अधिनियम-1954 और वक़्फ (संशोधन) अधिनियम-1984 के स्थान पर अगस्त, 1993 में संसद में एक नया वक़्फ विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ वक़्फ बोर्ड का और अधिक लोकतांत्रिक गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें वक़्फ मामलों से सम्बन्धित मसलों का निर्णय करने और वक़्फ की संपत्ति की बेहतर रक्षा और प्रबन्ध के लिए वक़्फअधिकरण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम इस वर्ष काम शुरू कर देगा, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी। इसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है।

39. अपने पिछले अभिभाषण में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की सन् 1992 में की गई समीक्षा और उसमें किए गए संशोधनों का उल्लेख किया था। सरकार साक्षरता और पश्च साक्षरता अभियानों और प्राथमिक शिक्षा के प्रति एक नए जिला-विशेष और समुदाय अभिमुख दृष्टिकोण द्वारा समर्थित पूर्ण साक्षरता अभियानों की अभिनव कार्य नीतियों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। केरल और पांडिचेरी के सभी 18 जिलों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। 32 जिलों में ; जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न किए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव-साक्षर लिखना-पढ़ना भूल न जाएं, पश्च साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस समय 258 जिलों में 238 पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहे हैं।

40. नए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी योजना एवं प्रबंध पर जोर दिया गया है, और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर और विकेन्द्रीकृत प्रबंध के माध्यम से स्कूलों की प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में भारत ने विश्व के नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की "सबके लिए शिक्षा" शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और इसमें भारत ने तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को

दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस सदी के अंत तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत तक शिक्षा परिव्यय बढ़ाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार पृथक-पृथक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करके और विकेन्द्रीकृत प्रबंध द्वारा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है।

41. राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर में कमी हो रही है। 1981-91 के दशक में वार्षिक औसत चरघातांकी वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी, जो वर्ष 1992 में घटकर 1.9 प्रतिशत रह गयी है। अशोधित जन्म दर, जो 1951-61 में 41.7 प्रति हजार थी, 1992 में घटकर 29 प्रति हजार रह गयी। अशोधित मृत्यु दर, जो 1951-61 में 22.8 थी, वह 1992 में घटकर 10 रह गई है। कुल प्रजनन-दर, जो 1961 में 5.97 थी, 1991 में घटकर 3.6 रह गई। पूरे देश में शिशु मृत्यु दर 1961 में 146 प्रति हजार जीवित शिशु थी। यह 1992 में घटकर 79 रह गई। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, परन्तु जनसंख्या में वृद्धि अभी भी विचलित करने वाली है। सरकार जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समूचा राष्ट्र एकमत है। इसके लिए राज्य सरकारों, अग्रणी नेताओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों की ओर से बहु-आयामी एवं बहु-क्षेत्रीय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी राजनैतिक दलों को इस सम्बन्ध में एकमत होकर लोगों को छोटे परिवार के मानदण्ड अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन आन्दोलन का रूप देना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल ही में गठित की गई जनसंख्या समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भावी कार्रवाई के बारे में मुख्य मंत्रियों और विचारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए। यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।

42. विकास प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के परस्पर संबंध के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारी वन और वन्य-जीवन नीतियों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उसके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग की आवश्यकता, हमारी प्रमुख नदियों की सफाई और प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों में परिलक्षित होती है। जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए मरूस्थल के बारे में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहस में भाग लेते समय हमने 1992 के रियो शिखर पर सम्मेलन में संसाधनों, प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के संबंध में उठाए गए मूलभूत मसलों पर ध्यान केन्द्रित किया। सरकार विकास से संबंधित हमारे प्रयासों में हमारी पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं पर पूरा ध्यान देगी।

43. अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निरन्तर प्रगति हुई है। यद्यपि हम पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल की उड़ान में असफल रहे हैं, परन्तु इस अनुभव से काफी लाभ मिला है। संग्रह किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, और इससे जटिल प्रणालियों की प्रभावशीलता सिद्ध हुई है। पोलर सैटेलाइट लांचिग व्हीकल की अगली उड़ान अगस्त-सितम्बर, 1994 में किए जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल के विकास में भी प्रगति हुई है, जिससे आज से कुछ वर्षों के बाद इनसैट श्रेणी के उपग्रह छोड़े जा सकेंगे। इनसैट-2ए को चालू करने के एक वर्ष के भीतर पिछले वर्ष हमने इनसैट-2बी को सफलतापूर्वक छोड़कर और

चालू कर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इनसैट-2बी से दूरदर्शन को अपने पांच उपग्रह चैनल शुरू करके अपनी सेवाओं में वृद्धि करने में मदद मिली है। इससे दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसारण सशक्त बना है।

44. भारत की एक सशक्त और व्यापक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक आधार-संरचना है। भारत ने विभिन्न उच्च-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति और पर्यावरण के अनुरूप प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता के कारण हमसे अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप हमें अपनी क्षमताओं पर और अधिक निर्भर रहना होगा। सरकार इसके लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा की महान क्षमताओं के उपयोग के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए दृढ़-संकल्प है। उभरते हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अनुसंधान परिणामों से हमारे उद्योग लाभ उठा सकेंगे। उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाएगा। सौर एवं अन्य गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के लिए उन्नत सामग्री और साधनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

45. हमारी सशस्त्र सेनाएं देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर निरंतर चौकसी रखती हैं। राष्ट्र को इन सेनाओं पर और उन रक्षा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों पर गर्व है, जिन्होंने हमारी रक्षा तैयारियों में सराहनीय योगदान दिया है। गोला-बारूदों के स्वदेशी विकास और रक्षा उत्पादन यूनिटों के विविधीकरण में भी तेजी से प्रगति हुई है।

46. अपने सामान्य कर्तव्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाएं आवश्यकता पड़ने पर कानून ओर व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही गतिविधियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों को सहयोग देती रही हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्यों में भी सहायता करती रही हैं। इन क्षेत्रों में इनका कार्य अनुकरणीय रहा है। सरकार सेवारत और सेवानिवृत सशस्त्र सेना कार्मिकों को बेहतर सुविधाएं और स्थितियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। फील्ड एरिया में तैनात कार्मिकों को हाल ही में अपेक्षाकृत अधिक भत्ते प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन में एक बार वृद्धि स्कीम का लाभ दो लाख अतिरिक्त पेंशनरों को भी दिया जाएगा।

47. सतत् अन्तरराष्ट्रीय विपणन के परिणामस्वरूप सरकार अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में यह विश्वास उत्पन्न करने में सफल रही है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से है। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 के महीनों में पर्यटकों के आगमन में अब तक की रिकार्ड वृद्धि हुई है। यह 1992 और 1993 की इसी अवधि के दौरान आए पर्यटकों की तुलना में क्रमशः 23.8 प्रतिशत और 28.4 प्रतिशत अधिक है।

48. पिछले एक वर्ष में सरकार की विदेश नीति हमारे अपने राजनीतिक एवं सुरक्षा हितों के संवर्धन को जारी रखते हुए विदेशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में हमारे आर्थिक हितों की रक्षा पर केन्द्रित रही। हमारे आर्थिक सुधारों की सार्थकता से विदेशों को प्रभावपूर्ण ढंग से अवगत करा दिया गया है।

49. पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, और इस वर्ष बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक कार्यकलापों में भी अच्छी प्रगति हुई है। केवल

पाकिस्तान के मामले में उसके द्वारा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और विद्रोह का समर्थन किए जाने तथा विश्व भर में भारत-विरोधी कार्य किए जाने के कारण संबंधों को सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के समक्ष शिमला समझौते के अनुरूप एक अच्छे पड़ौसी जैसे संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में द्विपक्षीय वार्ता की गई, किन्तु पाकिस्तान के भारत-विरोधी बयानों की भरमार से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे और पाकिस्तान की जनता के बीच कोई झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर शिमला समझौते के अनुरूप भारत-पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने की हमारी कामना में बराबर का सहयोग दे।

50. चीन के साथ हमारे संबंध में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बनाए रखने के करार पर हस्ताक्षर करने से इन संबंधों में नए आयाम विकसित हुए हैं। इस करार के अधीन गठित विशेषज्ञ दल ने हाल ही में अपनी पहली बैठक की, और उसमें इस पेचीदा मुद्दे पर परस्पर संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की दोनों पक्षों की इच्छा को अभिव्यक्त किया।

51. भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को इसके चार्टर के उद्देश्यों के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग का माध्यम मानता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष ढाका में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ने आम हित के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दें, जैसे-कि गरीबी, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, महिलाओं, बालकों और युवाओं की स्थिति तथा मादक पदार्थों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर के अनुरूप उसके सामाजिक-आर्थिक और अन्य उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

52. शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से लेकर संस्कृति और खेलकूद के अनेक क्षेत्रों में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपस में पारम्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपसी समझबूझ की दिशा में, और ऐसे मुद्दों पर, जिनके सम्बन्ध में समझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता है, मिलकर काम करना चाहते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापक परीक्षण रोक संधि जैसे निरस्त्रीकरण से संबंधित मसलों पर भी सहयोग किया है। हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रति संयुक्त राज्य ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और पिछले दो वर्षों में संयुक्त राज्य ने भारत में काफी निवेश किया। इससे हमारे दोनों देशों के बीच जीवंत लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आदर्श परिलक्षित होते हैं।

53. विगत दिनों में हमारी मैत्री की समृद्ध परम्परा के आधार पर रूसी संघ के साथ हमारे संबंधों में आपसी समझबूझ और सहयोग बना रहा। दोनों देशों के समक्ष आई कुछ कठिनाइयों के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का दोनों पक्षों द्वारा समर्थन करने का प्रयास किया गया। हमारे सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने वाली हमारी सद्भावना और समझबूझ से आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में आगे सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

54. मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1993 में प्रधानमंत्री की उज़बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान की यात्राएं बहुत सफल रहीं। पिछले वर्ष उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति और कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा की। भारत और इन दोनों देशों के बीच राजनीति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग तथा व्यापार, नागर विमानन और संस्कृति के क्षेत्रों में भी सहयोग के कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए ।

55. दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ और पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग के एक नए युग के सूत्रपात के लिए संगठित रूप से प्रयास किया गया। नए आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किए गए, और व्यापार बढ़ाया गया। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के देशों के बीच क्षेत्रीय बातचीत का शुरू होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। अप्रैल, 1993 में प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा से भारत-थाई सम्बन्धों को नया बल मिला। भारत-सिंगापुर सम्बन्धों में गुणात्मक सुधार हुआ है, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री गोह चौक टौंग ने इस वर्ष जनवरी में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने भी दिसम्बर, 1993 में भारत की यात्रा की। सितम्बर, 1993 में उप-राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा से वियतनाम के साथ हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ हुए। सरकार जापान के साथ आर्थिक और अन्य सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए सतत् प्रयास करती रही। कोरिया गणराज्य के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों को और गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 1993 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की, जिसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही।

56. खाड़ी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध पारम्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं, और अब आर्थिक सम्बन्धों में भी सहयोग बढ़ रहा है। सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की ओमान और ईरान की यात्राओं ने पारस्परिक आर्थिक लाभ के बढ़ते हुए सम्बन्धों की नींव डाली।

57. हम पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने तथा फिलिस्तीनी लोगों के जायज अधिकारों को वापस दिलाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में इजरायल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच सितम्बर, 1993 में सम्पन्न अंतरिम स्वशासी व्यवस्थाओं के सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हैं।

58. भारत और यूरोपीय संघ ने विविध क्षेत्रों में आपसी लाभदायक सम्बन्धों को और अधिक विकसित करने को जो महत्व दिया है, उसका परिचय 20 दिसम्बर, 1993 को सम्पन्न साझेदारी और विकास पर सहयोग समझौते तथा राजनैतिक बातचीत पर भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त वक्तव्य से मिलता है। पिछले वर्ष के दौरान यूरोप से जिन उच्च स्तर के गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की, उनमें आयरलैंड के राष्ट्रपति, स्वीडन के नरेश और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड में डावोस और जर्मनी की सफल यात्राएं कीं। डावोस ने प्रधानमंत्री ने विश्वभर से आए उद्योगपतियों, राजनीतिक नेताओं और प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत की नीतियों और क्षमताओं के प्रति समझबूझ बढ़ी है। जर्मनी की यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्धों को और बल मिला है, तथा आर्थिक सहयोग और मजबूत हुआ है।

59. जुलाई, 1993 में मैंने तुर्की, उक्रेन और हंगरी की राजकीय यात्राएं कीं, जो इन देशों के साथ हमारे

सहयोगपूर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने की हमारी इच्छा का परिचायक है।

60. इस वर्ष के दौरान हमने उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक पारस्परिक बातचीत की, जिसमें बुरकिनो फासो, मारीशस, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएं शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो रही विकास की सकारात्मक गतिविधियां हमारे ध्यान में हैं, और वहां पर बहुमत वाली सरकार शीघ्र स्थापित हो, इसकी हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

61. भारत राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण और जनसंख्या से संबंधित विषयों पर विश्व कार्यसूची को एक स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट-निरपेक्ष आंदोलन अथवा इन विषयों सें संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विभिन्न बैठकों में विश्व सहमति को बढ़ावा देने के लिए हमने विकासशील देशों की विशिष्ट चिन्ताओं को उजागर करने में बढ़-चढ़कर भाग लिया है।

62. वर्ष 1993 आर्थिक सुधारों के लाभों और सरकार द्वारा की गई राजनीतिक पहल को सुदृढ़ करने का वर्ष रहा। हमने सन् 1994 में इस आशावाद के साथ प्रवेश किया है कि हम अपने आर्थिक विकास की गति को और अधिक बढ़ाएंगे। लोगों ने सुधारों के पक्ष में और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जो समर्थन दिया हे, उससे हमारा यह आशावाद सुदृढ़ हुआ है।

63. मुझे विश्वास है कि इस सत्र के दौरान तथा उससे आगे भी आपकी बहस तथा विचार-विमर्श लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में राष्ट्र को और आगे ले जाएगी। मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप अपने कार्य में जुट जाएं। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री अपने दो मंत्रियों का परिचय देंगे।

1.09 म.प.

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मुझे अपने दो सहयोगियों, श्री राम लखन सिंह यादव, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा डा. सी. सिलवेरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का परिचय कराना है।

1.09½ म.प.

निधन - सम्बंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम डेढ़ महीने से भी अधिक समय के अंतराल के बाद मिले हैं, अतः मुझे इस सभा को हमारे पूर्व सहयोगियों अर्थात् सर्वश्री आर.एस. अरुमुगम, श्री एम.ए. इकाम

अल्हाज, डा. एन.एन. कैलाश, श्री टी.डी. मुत्तुकुमारसामी तथा श्री शिव राम राय के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री आर.एस. अरूमुगय श्री विल्लीपुथुर तथा मद्रास तेन्कासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः दूसरी और चौथी लोकसभा के 1957-62 तथा 1967-70 के दौरान सदस्य रहे थे।

वह 1952-57 तथा 1962-67 के दौरान भी मद्रास विधान सभा के सदस्य भी रहे थे।

एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते श्री अरूमुगय ने ग्रामीण कल्याण और समाज के दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान में विशेष रूचि ली। 1953-59 के दौरान वह मद्रास-स्टेट डिप्रेस्ड क्लासेज़ लीग के उपाध्यक्ष तथा महासचिव रहे। तदोपरांत 1959-62 के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया। वह मद्रास विश्व विद्यालय की सीनेट के सदस्य भी थे।

मद्रास विधान सभा तथा लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान एक सजग संसदविद् के रूप में उन्होंने विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में काम किया।

श्री अरूमुगय का 74 वर्ष की आयु में राजावल्लीपुरम में 3 जनवरी, 1993 को देहांत हो गया।

श्री एम.ए. हन्नान अल्हाज छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1977-79 के दौरान पश्चिम बंगाल के बशीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अल्हाज़ ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल गये। उन्होंने आजाद हिन्द फौज के एक अधिकारी को छुड़ाने के लिए आंदोलन किया, देश को स्वतंत्रता मिलने पर विभाजन के फलस्वरूप हुई सांप्रदायिक दंगों के महात्मा गांधी द्वारा आयोजित राहत कार्यों में भाग लिया, तथा पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन में भी भाग लिया।

वह इस्लामी अध्ययन अकादमी के संस्थापक और अध्यक्ष थे तथा ललित कला और साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य थे। वह बंगाली पत्रिका 'दमन' तथा 'प्रगति' के भी संपादक थे। संस्कृति और खेलों के क्षेत्र में उनकी विशेष रूचि थी।

वह एक सक्रिय सांसद थे और संसदीय कार्यवाही में उन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई।

श्री एम.ए. हन्नान अल्हाज का निधन 22 सितम्बर, 1993 को कलकत्ता में हुआ, उस समय उनकी आयु 64 वर्ष थी।

डा. एन.एन. कैलाश पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1971-77 के दौरान महाराष्ट्र के दक्षिणी बम्बई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वे 1952-59 के दौरान बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे और बाद में 1959-67 के दौरान वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य बने। महाराष्ट्र सरकार में उन्होंने 1957-60 और 1965-67 के दौरान उप-मंत्री के पद पर कार्य किया तथा लोक स्वास्थ्य, सहकारिता और शिक्षा सम्बन्धी विभागों का कार्यभार संभाला।

डा. कैलाश वयोवृद्ध सेनानी थे। उन्होंने 'भारत-छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया था और 1942 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

डा. कैलाश चिकित्सक थे और विभिन्न चिकित्सा संबंधी संघों के सदस्य थे। वह 'भारत मेडिकल जनरल' के मुख्य संपादक थे तथा बम्बई विश्व विद्यालय सीनेट तथा चिकित्सा संकाय के सदस्य थे। उन्हें सामाजिक चिकित्सा सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के 1969 में भारतीय चिकित्सा परिषद् की ओर से डा. बी. सी. राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

विविध विषयों में रुचि लेने वाले डा. कैलाश बम्बई में अनेक अखिल भारतीय वार्षिक कवि सम्मेलनों और उर्दू मुशायरों के भी संयोजक रहे।

डा. एन.एन. कैलाश का देहावसान 84 वर्ष की आयु में 8 फरवरी 1994 को बम्बई में हुआ।

श्री टी.डी. मुतुककुमारसामी नायडू 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने पूर्ववर्ती मद्रास राज्य के कुड्डालूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पहले 1952-56 के दौरान वह मद्रास विधान सभा के सदस्य थे।

वह समाज सेवक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। वह सहकारी आन्दोलन के सदैव समर्थक रहे। उन्होंने लोक सभा की कार्यवाहियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई।

श्री टी.डी. मुत्तुकुमारसामी नायडु का देहावसान 93 वर्ष की आयु में 9 फरवरी, 1994 को कुड्डालूर में हुआ।

श्री शिव राम राय छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1977-79 के दौरान उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले 1952-57 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य और अध्यक्ष रहे।

वह कृषक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। श्री शिव राम राय एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता और समाज सेवक थे। उन्होंने आजमगढ़ जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया।

उन्होंने लोक सभा की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया।

श्री शिव राम राय का देहान्त 93 वर्ष की आयु में 11 फरवरी, 1994 को आजमगढ़ में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों को अपने शोक संदेश पहुंचाने में सभा मेरा साथ देगी।

अब सभी सदस्यगण दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहेंगे।

1.14 म.प.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

———— ————————

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, कपिल देव ने वर्ल्ड रिकार्ड कायम करके हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई हैं . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

1.17 म.प.

बजट सत्र के ठीक पहले सरकार द्वारा आम उपयोग की कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि सभा पटल पर कागज पत्र रखने के लिये बुलाये, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र हैं। बजट की ओर आम आदमी बड़ी आशा और आशंका से देखता है। बजट सत्र का अपना महत्व है। बजट प्रस्तावों की एक पवित्रता होती है, लेकिन जब हम बजट सत्र के लिये इकट्ठे हुए हैं, उससे पहले सरकार ने जनता के ऊपर भारी बोझ डाल दिया है।

आम आदमी के काम में आने वाली चीजें महंगी कर दी गई है, प्रशासित मूल्य बढ़ाकर कीमतों में वृद्धि की गई है। गेहूं, चावल महंगा हो गया है। चीनी की मिठास कम हो गई है। रसोई गैस के एक सिलेंडर की 15 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हम ''अग्नि'' की चर्चा कर रहे थे ओर अपने वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहे थे। यह जो सिलेंडर इतना कीमती कर दिया गया है इसके लिए किस की प्रशंसा करें। पैट्रोल के दाम बढ़े हैं, हाई-डीजल के दाम बढ़े हैं।

. . .**(व्यवधान)** . . . अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार 3 हजार करोड़ रुपए का बोझा डाल दिया गया है, यह बोझा कहां तक उचित हैं इस पर बहस की जरूरत है। लेकिन मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। . . . **(व्यवधान)** . . . क्या बजट सत्र से पहले इस तरह से सरकारी आदेश से लोगों पर बोझा डालना उचित है। मैं उचित शब्द पर जोर दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह कहने से काम नहीं चलेगा सरकार को अधिकार है। सरकार को मनमानी का अधिकार नहीं है, भले ही जोड़-तोड़ करके आपने बहुमत बना लिया हो मगर हम आपकी मनमानी नहीं चलने देगें।

अध्यक्ष महोदय, औचित्य का प्रश्न है। क्या बजट सत्र के पहले इस तरह के झटके ठीक हे, वित्त मंत्री सदन में नहीं है, झटके से तो हलाल अच्छा है। पहले रसोई गैस का दाम और चीनी का दाम बढ़ा। फिर गेहूं और चावल, बाद में पैट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के दाम बढ़ा दिएं गए। अब 28 तारीख को बजट की प्रतीक्षा करने

की क्या जरूरत है। क्या पार्लियामेंट का अधिवेशन बेमानी है ? अगर सरकार ये कीमतें न बढ़ाती तो क्या आसमान टूट जाता। सदन की प्रतीक्षा की जा सकती थी, मगर आप सदन का अवमूल्यन कर रहे हैं। बजट की प्रक्रिया पर पानी फेर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन को कोई मतलब नही रह जाएगा, बजट बेमानी हो जाएगा, अगर इस तरह से सरकार को छूट दी गई। इसमें हम आपका हस्तक्षेप चाहते हैं। आप दुनिया भर की पार्लियामेंट के अध्यक्षों को सलाह देते रहते हैं। मगर आप इस सरकार को सलाह नहीं दे सकते ? बजट के पहले इस तरह की कीमतें बढ़ाने का क्या औचित्य हैं ? क्या सरकार बजट के लिए रूक नहीं सकती थीं, क्या संसद का मखौल उड़ाना जरूरी हैं ? अध्यक्ष महोदय, हम इस पर आपका अभिमत चाहते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिये, यह जो बजट का सत्र है इस प्रकार की चर्चा करने के लिए ही है। आप इस पर बाद में चर्चा कर लें।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : कपिल देव ने क्रिकेट में वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया है। जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। लोकसभा को इसका अभिनन्दन करना चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इन सब विषयों पर आज नहीं बाद में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी पद्धति से इसके ऊपर मत व्यक्त किया है, उन्होंने अपनी पद्धति से किया है तो इसी चर्चा के लिये यह सत्र है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय जब आपने विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी को बोलने की अनुमति दी तो कृपया हमें भी दीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने संसद की संयुक्त बैठक का बहिष्कार क्यों किया ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह जो पूरा सत्र है, यह इस विषय पर चर्चा करने के लिए है। आपने अपनी पद्धति चुप बैठ कर अपना मत व्यक्त किया है और उन्होंने अपनी पद्धति से अपना मत बोल कर व्यक्त किया है। यह इशू हमारे सामने हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिन नहीं, कल से इस पर चर्चा होनी है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अटल जी ने यहां पर।

[हिन्दी]

इस सवाल को उठाकर अच्छा किया। इस सवाल पर हम सब लोग उद्वेलित हैं यदि आपने उनको अलाउ न किया होता तो हम कुछ न बोलते।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 545 लोगों को बोलने का समय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम प्रेस को सूचित करेंगे। हम यही करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर हम अनुपस्थित क्यों रहें, यह बताने का हमको हक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य आप बाद में उचित ढंग से कर सकते हैं। आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। इस प्रकार भाषण को खीचते जाना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, बजट से पहले महंगाई बढ़ाने की सरकार की जो परंपरा है, इस परंपरा ने इतना विराट रूप ले लिया है, व्यापक रूप ले लिया है कि अब बजट आने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एक तरह से मुनीम आएगा और लेखाजोखा दे देगा। तमाम चीजों की जो महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि नई आर्थिक नीति का विस्तार हो रहा है और मजबूत मुल्कों के इशारे पर सारे काम एक के बाद एक किए जा रहे हैं। इस तरह से देश की आत्म निर्भरता का खात्मा होने की आशंका नजर आ रही है। और देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बजट से पहले खाद्यान्न, तेल, गैस इन सारी चीजों के दाम बढ़ाने का क्या मतलब है। इस लिए हम आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनुपस्थित रहे हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आप बोलने नहीं देते हैं। मेरी बात दो मिनट में खत्म हो सकती थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : पहले इन्होंने क्यों रेज नहीं किया, अब क्यों कर रहे है। क्या सारी व्यवस्था को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप दल के नेता हैं। आपको विषयों को दोहराने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं जानता हूं पांचवी बार इस लोकसभा में खड़ा हूं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अदब के साथ नहीं कह रहे हैं और अदब से कहना चाहते हैं ?

श्री शरद यादव : यदि अपनी बात को मजबूती से कहने को आप अदब नहीं मानते हैं तो मुझे अफसोस है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री शरद यादव : मैं इतना कहना चाहता हूं कि बजट आने से पहले कीमतें बढ़ाने का जो काम है, इसको हम गंभीरता से लेते हैं। सदन में बजट की अपनी तरह की गंभीरता होती हे, उस गंभीरता को जब से यह सरकार आई है, लगातार तोड़ती रही है। मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोग अनुपस्थित रहे, इसका हमें बहुत अफसोस है और सरकार ने जो गलत काम किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का निर्णय किया है क्योंकि सरकार अनिवार्य वस्तुओं जैसे पैट्रोलियम, रसाई गैस की कीमतें तथा गेहूँ, चावल और चीनी की निर्गम कीमत बढ़ाने का सहारा लिया है। सरकार 6,000 करोड़ रुपये एकत्र करने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, यह सारा सत्र इसी कार्य के लिए है। आप इसे बाद में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बजट-सत्र की पूर्व सन्ध्या पर कीमतें बढ़ाने के इस तरीके से यह सत्र ही बेमानी हो जाता है। और हमारा यह विचार है कि यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारों पर यह नीति अपना रही है। पहले ही बहुत से उद्योग बन्द हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इस तरह के भाषण का समय नहीं है। आपको यह बात समझनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अब निजीकरण किया जा रहा है। सत्र की पूर्व-सन्ध्या पर सरकार द्वारा कीमतें बढ़ाना बहुत ही अनुचित है। हम यहाँ पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि सभी अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो इस बजट-सत्र के आयोजन की जरूरत ही क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ....

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमें इन सब बातों पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वे पहले ही ऐसे उपाय अपना चुके हैं। यहाँ तक कि संसद के सत्र के बुलाने से पहले ही उन्होंने इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी है। इसी वजह से हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अध्यक्ष पर उनके विचार व्यक्त करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिये। दूसरे, अगर कानूनों के अनुसार कुछ किया जा सकता है, तो यह वैध है और अगर कानून के अनुसार इसे नहीं किया जा सकता, तो वह अवैध है। अब आपको यह दर्शाना होगा कि यह अवैध है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह लिगेलिटी या इल्लेगिलिटी का सवाल नहीं है, यह तो प्रोप्राईटी का सवाल है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर गौर किये बिना मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने औचित्य का प्रश्न पूछा था, यह कहां तक उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका औचित्य का प्रश्न है भी तो . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न क्या है ? मैं आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न सुनूंगा। आप नियम के बारे में बतायें ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उस विषय पर आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस प्रकार बोलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको मुझे बताना होगा कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप मेरा व्यवस्था-संबंधी प्रश्न सुनिये, मैं इसके बारे में बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, मैं श्री आडवाणी के बाद आपकी बात सुनूंगा। अब आप बैठ जाइये। आप सभा में इस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : यह सभा बेमानी हो गई है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सरकार इस सभा को कोई महत्व नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, सदन के प्रति सम्मान का आपका आग्रह सर्वथा उचित है और हमारा भी जो विरोध सरकार से है, वह इस कारण है कि साधारणतः उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज बढ़ाने का अधिकार है लेकिन जब बजट का सत्र आने वाला है तो बजट सत्र से दो-तीन सप्ताह पहले यदि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बढ़ायी जाये, डीजल और पैट्रोल की कीमत बढ़ायी जाये, गेहूं और चावल की कीमत बढ़ाई जाये, जिसके परिणामस्वरूप बजट का जितना बोझ होगा, उससे तीन हजार करोड़ बोझ ज्यादा बढ़ जाये तो हमारे विपक्ष के नेता ने आपसे यही कहा कि सरकार द्वारा किया गया यह अनुचित काम है। इस अनुचित काम के लिये हम लोग बोल सकते हैं। वैसे मुझे स्मरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज के ईश्यू पर, जब मैं दूसरे सदन का सदस्य था, तब वहां के सभापति महोदय ने सरकार की उसके लिये भर्त्सना की थी। उसका मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। यदि आप भी करते हैं तो उचित हैं। आपको कोई प्रैशराइज नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारा विरोध सरकार से है। सरकार ने सदन की अवमानना की है। बजट सत्र से पहले इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज बढ़ाकर, उसने एक तरह से सदन को बाईपास करने की कोशिश की है जबकि -

[अनुवाद]

'जनप्रतिनिधियों की सहमति के बगैर कोई कर नहीं।'

[हिन्दी]

यह एक बेसिक सिद्धान्त है और इसीलिये बजट आता है, नहीं तो बजट का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिये हम विरोध करना चाहते हैं और चाहते थे कि हमारे विरोध के स्वर में आपका भी वजन जुड़ जाये।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उल्लेख नहीं करना चाहता . . .

अध्यक्ष महोदय : अब, मुझे आपका नियम नहीं चाहिये। आप अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उन 6,000 करोड़ रुपयों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। जो पहले ही एकत्र किये जा चुके हैं। यहां तक कि यह बजट द्वारा एकत्रित संसाधनों की धनराशि से भी अधिक है। मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं तो हाल ही में बढ़ी हुई कीमतों अथवा पेट्रोलियम और डीजल पर लगाये गये शुल्कों के कारण हुई प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि की बात कर रहा हूं। यहां तक कि मैं थोक मूल्य सूचकांक के झूठे आकंड़े का भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं। इस वर्ष की मुद्रा स्फीति की दर की तरह यह इस सप्ताह 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गया है।

ये अस्थायी आंकड़े हैं और मुद्रा-स्फीति की दर निश्चित रूप से दो अंकों में भी परिवर्तित होगी। मैं उसका भी उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि अन्य सदस्य उसका उल्लेख कर चुके हैं। **(व्यवधान)** कृपया मुझे सहयोग दीजिये। मैं किसी और विषय का उल्लेख कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका विचार यह है कि इसके लिए आपको बाद समय नहीं मिलेगा ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : स्थायी समितियों में अनेकों विधेयक होने के बावजूद, इस सभा में अनेक विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किये जाने के बावजूद भी, सरकार इसी ढंग से संसद की अनदेखी कर रही है, संसद का सामना करने से डर रहीं है और देश पर अध्यादेश थोपने से नहीं हिचक रही है। अतः मेरा यह भी कहना है कि माननीय मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद, वायुनिगम पर अध्यादेश के बारे में स्पष्टीकरण देने वाले जो पत्र रखने जा रहे हैं, उन्हें आज नहीं रखा जाना चाहिये। यह भी संसद से दूर रहने का एक तरीका है। ये विधेयक संसद में लंबित थे।

अध्यक्ष महोदय : अगर उस समय कुछ कहना चाहेंगे ? तो मैं उसकी अनुमति दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बैंकिग विनियम अधिनियम के बारे में यही कुछ हुआ। जब संसद का सत्र चालू होने जा रहा हो। और उसमें विधेयक भी हों, ऐसे में अध्यादेश जारी करने का क्या औचित्य है।

इन सब बातों से पता चलता है कि वे उस संसद की, जिसके आप उच्चतम प्रतिनिधि हैं, अनदेखी करना चाहते हैं और इसीलिए, महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उनके समेत, हम सबका संरक्षक होने के नाते आपको जैसा कि श्री आडवाणी ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्हें नियमों की अद्यतन जानकारी देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको बता दूं। कि आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिये ? आपको वह मुझपर छोड़ देना चाहिये। इससे यही प्रतीत होता है कि आपको यह बात कहने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपका निर्वाचन करते हुए हमने यह निर्णय किया है कि हम यथासंभव आपकी सहायता करेंगे। इसके बारे में श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बिल्कुल सही कहा है और उस समय, दूसरे सदन में मैं भी वहां मौजूद था। उस सभा में जब हमने सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित किया तो सभापति महोदय ने इस प्रकार के कार्यों के लिए सरकार की भर्त्सना की। चूंकि हम उस सभा से इस सभा में आये हैं, इसीलिए स्वभावतः हम यह उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष महोदय भी सत्तारूढ़ पक्ष तथा सरकार की भर्त्सना करने की स्थिति में होंगे। महोदय, यही हम आपसे चाहते हैं।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (आलासौर) **: वे जानबूझकर इस संसद की निंदा कर रहे हैं।**

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की चिन्ता की सराहना करता हूं जो उन्होंने यह व्यक्त की है। लेकिन कल से इस सत्र में यही कार्य होना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की नीति का विरोध करते हैं और सदन से बहिर्गमन करते हैं।

1.34 म.प.

(तत्पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, हम भी सरकार की नीति के विरोध में सदन से वाक-आउट करते हैं।

1.34½ म.प.

(तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य तथा कुछ माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी सरकार के इस रवैय्यै के विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

[अनुवाद]

1.35 म.प.

(तत्पश्चात् श्री शरद यादव तथा कुछ माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1.35½ म.प.

मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : श्री एस.बी. चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ : -

(1) (एक) मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतगर्त राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1993 को जारी उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 1993 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 802 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसंरण में राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1993 को दिए गये आदेश, जो 31 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 803 (अ) में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5319/94]

(2) मणिपुर के राज्यपाल की राष्ट्रपति को प्रेषित 5 अक्तूबर, 1993 और 31 दिसम्बर, 1993 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5320/94]

वायुनिगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान

बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण)

नागरिक विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल.टी. 5321/94]

काफी (संशोधन) अध्योदश (1994 का संख्याक 1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश (1994 का संख्याक 2) इत्यादि।

मानव संसाधन मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) क के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेश की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित काफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5322/94]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित खान और खनिज (विनियम और विकास) संशोधन, अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रख। गया। देखिये संख्या एल.टी. 5323/94]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित अपराधों का विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5324/94]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 29 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5325/94]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रख। गया। देखिये संख्या एल.टी. 5326/94]

1.36 ½ म.प.

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा को सूचित करना है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री दिग्विजय सिंह का 7 जनवरी, 1994 का लोकसभा की सदस्यता त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में मुझे एक पत्र प्रापत हुआ था।

मैंने 26 जनवरी, 1994 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अब यह सभा कल 22 फरवरी, 1994 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.37 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार 22 फरवरी, 1994 / 3 फाल्गुण, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० गेन मार्ग, दिल्ली -110006